ORDER SHEET(CONT)

10.07.2023 **RCT No. 812/2022**

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री चिन्तामन बाथम उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर अभियोगी/आहत मायाबाई ने आवेदन अंतर्गत 320(1), 320(2), 320(4) दप्रसं, 1973 राजीनामा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाये। आवेदन की प्रति अभियोजन पक्ष को प्रदान की गयी।

उभयपक्ष को आवेदन अंतर्गत धारा 320(4) दप्रसं पर श्रवण किया गया। आहत मायाबाई द्वारा बताया गया है कि आहत रोहित उसका पुत्र है जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है। उसने पुत्र रोहित की ओर से भी अभियुक्तगण के साथ राजीनामा किया है। मामले की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/आहत मायाबाई को अभियुक्तगण के साथ आहत रोहित की ओर से राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गयी।

राजीनामा आवेदन पर उभयपक्ष को श्रवण किया गया।

उभयपक्ष ने स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर व दवाब के राजीनामा होना व्यक्त किया है। आवेदक/अभियोगी/आहतगण मायाबाई व रोहित के राजीनामा कथन लिये गये।

आवेदक/अभियोगी/आहत मायाबाई तथा अभियक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री चिन्तामन बाथम द्वारा की गयी।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34 (2 काउंटस), व 506–2 भादसं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित समस्त अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। अभियोगी/ आहत मायाबाई द्वारा राजीनामा स्वेच्छयापूर्वक होना व्यक्त किया गया है। आवेदक/आहत मामले के शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार हैं। अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अतः राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है, तथा राजीनामा आवेदन स्वीकार कर **अभियुक्तगण मनोज पिता आत्माराम तथा निर्मला पति मनोज निवासीगण बगोदा** को **294, 323/34 (2 काउंटस), व 506–2 भादसं** के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकडी नियमानुसार मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात, अपील ना होने पर नष्ट किया जाये।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

आदेश की प्रति नियमानुसार सीआईएस में अपलोड की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियमानुसार समस्त पूर्ति पश्चात नियत समयावधि के भीतर दाखिल रिकॉर्ड किया जावे।

J.M.F.C., Depalpur